



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प० गवा लियर।

II/निरानी/शीका/थृष्णा/2017/4408

१- रुद्रेश पुत्राप सिंह तनय श्री बीरसुल सिंह गिरिवर

२- रामसुकल तनय श्री महाबीर

३- रामश्रीवण सिंह मृतक बा रिसान

। अ। बृंदेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री रामश्रीवण सिंह

। बृंदेन्द्र उमेश सिंह तनय स्व० श्री रामश्रीवण सिंह

। स। घोरे शंख तनय स्व० श्री रामश्रीवण सिंह

। द। सतेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री रामश्रीवण सिंह

। इ। बानन्द सिंह तनय स्व० श्री रामश्रीवण सिंह

४- वानपाल सिंह तनय सज्जन सिंह

५- जनादिन सिंह मृतक बा रिसान

। अ। बिश्व श्रीशंख बिनेश सिंह तनय स्व० जनादिन सिंह

। ब। रत्नेश सिंह तनय स्व० श्री जनादिन सिंह

६- मानिक सिंह मृतक

७- शिवाकांत तनय मुखन न्दन

८- सचिदानन्द पुत्र मुखन न्दन मृतक

सभी निवासीगण ग्राम उप खार टौला मौहसिया तेहसील जवा जिला  
रीवा । म०प०

----- आवैदकाणा । निरानी क्तागिणा

### वनाम

१- श्याम विहारी मिश्रा पुत्र रामलखन मिश्रा

२- दिनेश प्रसाद मिश्रा पुत्र राममुनी मिश्रा

३- गया प्रसाद दुवैदी पुत्र लालमणी दुवैदी

४- मुन्नालाल पुत्र कैशी प्रसाद दैवदी

५- हन्दुरीत विज्ञ कमा पुत्र बाबूलाल विज्ञ कमा

६- कुटवा कैल पुत्र चुनका कैल

७- महेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल

श्री निरानी वाला  
द्वारा आज दि 14-11-17 को

प्रस्तुत  
19/11/17  
बलक ओफ कोट  
राजस्व मण्डल मप्र. ग्यालियर

कोट 22-11-17

१०/११/१८  
रामनी वाला  
14-11-17

॥ २ ॥

- ८- सत्यदेव पुत्र बनसुर्या प्रसाद दुवेदो  
९- महेन्द्र प्रसाद पुत्र कृष्ण प्रसाद श्री दुवेदी  
१०- लिरोच्चा साक्षेत पुत्र मदन साक्षेत  
११- मुकुन्द विहारी पुत्र श्री हन्दूपत मिश्रा  
१२- लक्ष्मीप्रसाद मिश्रा पुत्र दैबमुन मिश्रा  
१३- कृष्णबहादुर सिंह पुत्र गौपाल सिंह  
१४- कामता सिंह पुत्र माँतीलाल  
सभी शिवासीगण ग्राम उपहवार तेज्जील जवा जिला रीवा । म०प०।  
१५- म०प० शासन

---- अनावैदकगण । गैर निगरानी करो

निगरानी अन्तर्गत घारा ५० मध्य० मू राजख संहिता विरुद्ध  
आदैश क्लेक्टर रीवा जिला रीवा के आदैश दिनांक ३०-६-२०१६  
राजख प्रकरण क्रमांक ३० । ब ७४ । मूला १५-१६ मै पारित

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक १२९ रीवन्हुरू ८८७ । ४४०८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
१२/१८	<p>आवेदक की ओर से श्री ..... <u>अरविंद पाठेच</u>          अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला ..... <u>रीवा</u>          के प्रकरण क्रमांक <u>३०/A-७४/५-१६</u> में पारित आदेश दिनांक  <u>३०/०६/२०१६</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में          दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित          संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु          प्रकरण आयुक्त संभाग ..... <u>रीवा</u> ..... के न्यायालय को अंतरित किया          जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>०३/०५/१९</u> को संभागीय आयुक्त  <u>रीवा</u> ..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	